



राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर-302017
दूरभाष: 0141-2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com

निष्पादक समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 19.04.2010 में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही का विवरण

दिनांक 19.04.2010 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर की निष्पादक समिति की चतुर्थ बैठक शिक्षा संकुल, जयपुर के प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष (चिन्तन) में माननीय प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस बैठक में निम्न अधिकारियों ने भाग लिया था :-

1. डॉ. ललित के. पंवार, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, जयपुर
2. श्री सियाराम मीणा, शिक्षा सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, जयपुर
3. श्री भास्कर ए. सावंत, राज्य परियोजना निदेशक एवं निदेशक (मा.शि.), जयपुर
4. श्रीमती वीनू गुप्ता, आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर
5. श्री एस.एस. सोहता, उप शासन सचिव, जयपुर
6. श्री एम.सी. मीणा, सहायक सचिव, पी.आर.ई.ई., जयपुर
7. श्री बी.प्रवीण, निदेशक, आई.सी.डी.एस., जयपुर
8. श्री एम.आर. शर्मा, सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर
9. श्री एच.एस. भारद्वाज, निदेशक, साक्षरता, जयपुर
10. श्री सुरेश गुप्ता, उप सचिव (वित्त), जयपुर
11. श्री जी.एल. राव, मुख्य अभियन्ता, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर
12. श्री बी.एन. दायमा, सचिव, आर.एस.ओ.एस., जयपुर
13. डॉ. मण्डन शर्मा, संयुक्त निदेशक, संस्कृत शिक्षा, जयपुर
14. श्रीमती नीलम दवे, मूल्यांकन अधिकारी, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर
15. श्री एस.पी. वर्मा, वरिष्ठ लेखाधिकारी, आर.सी.एस.ई., जयपुर
16. श्रीमती राजेश्वरी कालिया, सहायक निदेशक, आर.सी.एस.ई., जयपुर
17. श्रीमती ममता दाधीच, सहायक निदेशक, आर.सी.एस.ई., जयपुर
18. श्री रमेश चन्द्र शर्मा, कार्यक्रम अधिकारी, आर.सी.एस.ई., जयपुर
19. श्रीमती तूलिका दानी, कार्यक्रम अधिकारी, आर.सी.एस.ई., जयपुर
20. श्री रवीन्द्र कुमार लाटा, सहायक निदेशक, आर.सी.एस.ई., जयपुर

इस बैठक में लिये गये निर्णयों पर अब तक की गई कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय	क्रियान्विति का विवरण
1	प्रस्ताव संख्या 1. पूर्व बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति दिनांक 17.12.2009 को आयोजित निष्पादक समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति का बैठक के एजेन्डा के एनेक्सर-1 में दिए विवरण के अनुसार अनुमोदन करना	1) दिनांक 17.12.2009 की निष्पादक समिति के निर्णयों की क्रियान्विति को अनुमोदित करते हुए दिनांक 12.01.2010 को सर्कुलेशन द्वारा आयोजित निष्पादक समिति की तृतीय बैठक की कार्यवाही व निर्णय की क्रियान्विति को भी अनुमोदित किया गया। 2) दिनांक 17.12.2009 की निष्पादक समिति की बैठक में अनुमोदित प्री-प्रोजेक्ट एक्टीविटी के बजट प्रस्तावों में से 158.98 लाख रुपये की राशि वितरित करने के बाद प्री-प्रोजेक्ट एक्टीविटी मद की शेष बची 267.69 लाख रुपये की राशि के प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार के व्यय किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	1. प्रस्तावों के अनुमोदन का कार्यवाही विवरण समस्त संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया। 2. प्री-प्रोजेक्ट गतिविधि की राशि के व्यय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।



राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर-302017

दूरभाष: 0141-2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय	क्रियान्विति का विवरण
2.	प्रस्ताव संख्या 2. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् हेतु बजट, वित्त एवं अंकेक्षण नियमों का अनुमोदन करना राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की गतिविधियों के सुचारु व सुव्यस्थित संचालन हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के द्वारा तैयार बजट वित्त एवं अंकेक्षण नियमावली (BF & AR) का बैठक का एजेन्डा के साथ संलग्न प्रारूप में अनुमोदन करना।	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा तैयार की गई बजट वित्त एवं अंकेक्षण नियमावली को बैठक के एजेन्डा के साथ प्रस्तुत प्रारूप में अनुमोदित किया गया।	अनुमोदित बजट वित्त एवं अंकेक्षण नियमावली के अनुसार व्यय करने हेतु प्रशासनिक आदेश जारी कर नियमावली को उपयोग में लाना प्रारम्भ कर दिया गया है।
3.	प्रस्ताव संख्या 3. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अंतर्गत पूर्व सृजित पदों में संशोधन करना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अंतर्गत निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर तकनीकी अधिकारियों के पूर्व सृजित पदों के अनुसार राज्य स्तर पर एक अधिशाषी अभियन्ता, एक सहायक अभियन्ता व दो कनिष्ठ अभियन्ता तथा जिला स्तर पर 33 सहायक अभियन्ता (प्रत्येक जिले में एक) एवं 33 कनिष्ठ अभियन्ता (प्रत्येक जिले में एक) में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त पदों के स्थान पर राज्य स्तर पर 2 अधीक्षण अभियन्ता, 1 सहायक अभियन्ता, 2 कनिष्ठ अभियन्ता, 1 लेखाकार व 1 कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद तथा संभाग स्तर पर प्रत्येक संभाग हेतु एक अधिशाषी अभियन्ता (कुल 7), एक सहायक अभियन्ता (कुल 7), एक कनिष्ठ अभियन्ता (कुल 7), एक लेखाकार (कुल 7) व एक कम्प्यूटर ऑपरेटर (कुल 7) एवं जिला स्तर पर 16 जिलों में (उन 16 जिलों में जिनमें ईबीबी ब्लॉक्स की संख्या 5 से अधिक है) प्रत्येक जिले हेतु एक सहायक अभियन्ता (कुल 16) व एक कनिष्ठ अभियन्ता (कुल 16) के पद सृजित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन करना। उपरोक्त में से राज्य स्तर पर दो अधीक्षण अभियन्ता व संभाग स्तर पर सात अधिशाषी अभियन्ता के पद मॉडल विद्यालयों के निर्माण स्वीकृत होने पर भरा जाना प्रस्तावित है।	प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजने का निर्णय किया गया।	वित्त विभाग को पद स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु माननीय प्रमुख शासन सचिव (स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा) से अनुरोध किया गया था। इस अनुरोध के क्रम में पत्राचार प्रक्रियाधीन है। इस पत्राचार में उनके द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर नये प्रस्ताव इस बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये हैं।
4.	प्रस्ताव संख्या 4. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के बैंक खाते में परिचालनकर्ता के नाम में परिवर्तन का अनुमोदन करना राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के एसबीबीजे के शिक्षा संकुल स्थित बैंक के खाता सं. 61078136415 में परिचालनकर्ता के लिए श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा के स्थान पर श्री शिवप्रकाश वर्मा, वरिष्ठ लेखाधिकारी के नाम से तथा पूर्व परियोजना निदेशक के स्थान पर वर्तमान परियोजना निदेशक के नाम के परिवर्तन का अनुमोदन करना।	इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	इस निर्णय के अनुसार बैंक खाते में परिचालन कर्ता के नाम में संशोधन करवा लिया गया है।



राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

ॐ राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर-302017

दूरभाष: 0141-2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय	क्रियान्विति का विवरण
5.	प्रस्ताव संख्या 5. प्रयोगशाला ग्राण्ट का पुनर्नियोजन करने के संबंध में भारत सरकार द्वारा PAB की बैठक में जिन राजकीय विद्यालयों में सैकण्डरी कक्षाएँ संचालित हैं उन विद्यालयों को 25,000/- रुपये प्रति विद्यालय की दर से प्रयोगशाला ग्राण्ट स्वीकृत की गई थी (इसकी केन्द्रांश की प्रथम किश्त फरवरी माह में तथा राज्यांश की प्रथम किश्त अप्रैल माह में प्राप्त हुई है)। इसी प्रकार राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में जिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोला गया है उन विद्यालयों के लिए प्रयोगशाला उपकरण राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के द्वारा खरीदा जाना प्रस्तावित है। अतः राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि को इस प्रकार पुनर्नियोजित किया जाना प्रस्तावित है कि प्रति विद्यालय न्यूनतम 10,000/- एवं विज्ञान संकाय खोलने वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1,00,000/- रुपये प्राप्त हो जायें। शेष राशि को अन्य विद्यालयों में आवश्यकतानुसार वितरित किये जाने का प्रस्ताव निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	इस निर्णयानुसार सभी जिला परियोजना समन्वयकों के माध्यम से विद्यालयों में राशि वितरित कर दी गई है।
6.	प्रस्ताव सं. 6 - पुस्तकालय ग्राण्ट का पुनर्नियोजन करने के संबंध में। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 की वार्षिक योजना हेतु Project Approval Board की बैठक में जिन राजकीय विद्यालयों में सैकण्डरी कक्षाएँ संचालित हैं उन विद्यालयों को 10,000/- रुपये प्रति विद्यालय की दर से पुस्तकालय ग्राण्ट स्वीकृत की गई थी। उक्त बजट इस वित्तीय वर्ष के अन्तिम चार महीनों के लिए ही स्वीकृत हुआ था तथा प्रथम किश्त के रूप में केन्द्रांश की राशि फरवरी माह में तथा राज्यांश की राशि अप्रैल माह में प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति में इस वित्तीय वर्ष में 10,000/- रुपये की पुस्तकें / पत्र-पत्रिकाएँ क्रय किये जाने के स्थान पर प्रत्येक विद्यालय में 5,000/- रुपये पुस्तकालय / वाचनालय में पत्र-पत्रिकाओं / पुस्तकों आदि के व्यय के लिए तथा शेष राशि खेलकूद गतिविधियों के विकास के लिए व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इस राशि में से प्रति विद्यालय 3,000/- रुपये की राशि जारी किया जाना तथा शेष राशि का पूल बनाकर प्रत्येक जिले में खेलकूद गतिविधियों के विकास के लिए विशेष खेलों के लिए चयनित विद्यालयों पर व्यय किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	इस निर्णयानुसार सभी जिला परियोजना समन्वयकों के माध्यम से विद्यालयों में राशि वितरित कर दी गई है।



राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर-302017

दूरभाष: 0141-2709846, E-mail: spdmsaraj@gmail.com

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय	क्रियान्विति का विवरण																									
7.	प्रस्ताव सं. 7 – विभिन्न स्तर के प्रशिक्षण / कार्यशालाओं, बैठक, संगोष्ठियों आदि के आयोजन के लिए व्यय हेतु प्रस्तावित मानदण्ड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य, संभाग एवं जिला स्तर पर प्रशिक्षण, कार्यशालाओं व बैठकों की सतत प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। इस क्रम में प्रत्येक स्तर पर आयोजित गतिविधियों के लिए वित्तीय मानदण्डों को तय किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। वर्तमान में हो रहे प्रशिक्षणों के लिए सर्व शिक्षा अभियान एवं एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर के प्रशिक्षण मानदण्डों के अनुरूप ही वित्तीय मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं किन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में फील्ड में ये अपर्याप्त प्रतीत हो रहे हैं। क्षेत्र से आ रही मांग तथा महसूस की जा रही आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् की गतिविधियों के संचालन के दौरान आयोजित होने वाली बैठकों / प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि हेतु एजेण्डा के साथ संलग्न कर वित्तीय मानदण्ड स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये।	प्रशिक्षण हेतु राज्य स्तरीय आवासीय/गैर आवासीय कार्यशालाओं में संदर्भ व्यक्तियों हेतु देय मानदेय 500/- रु. को निम्न प्रकार परिवर्तित किया जाये: 1. राज्य में शिक्षा विभाग से आने वाले संदर्भ व्यक्तियों हेतु – 250 रु. प्रति संदर्भ व्यक्ति प्रतिदिन 2. अन्य विभाग/अन्य स्थानों से आने वाले संदर्भ व्यक्तियों हेतु – 500 रु. प्रति संदर्भ व्यक्ति प्रतिदिन शेष सभी प्रस्तावों का एजेण्डा में प्रस्तुत विवरण के अनुसार अनुमोदन किया गया।	स्वीकृत प्रस्तावों के अनुसार ही व्यय करने हेतु सभी संबंधित को निर्देशित करते हुये प्रस्तावों के अनुसार ही व्यय की कार्यवाही की जा रही है।																									
8.	प्रस्ताव सं. 8 – राज्य एवं जिला स्तर पर संविदा कार्मिकों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गतिविधियों के संचालन एवं कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु संविदा पर रखे जाने वाले कार्मिकों एवं उन्हें दिए जाने वाले मानदेय निम्न प्रकार प्रस्तावित हैं :- <table><tr><th>पद</th><th>राज्य स्तर पर स्वीकृत पद</th><th>प्रति व्यक्ति एजेन्सी को देय मानदेय (रुपयों में)</th><th>जिला स्तर पर स्वीकृत पद</th><th>प्रति व्यक्ति एजेन्सी को देय मानदेय (रुपयों में)</th></tr><tr><td>1. एम. आई.एस. प्रभारी</td><td>01</td><td>प्रतिनियुक्ति से भरा जाना है</td><td>01 प्रति जिला</td><td>10,000/-</td></tr><tr><td>2. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर</td><td>02</td><td>6,000/-</td><td>01 प्रति जिला</td><td>5,000/-</td></tr><tr><td>3. कम्प्यूटर ऑपरेटर</td><td>08</td><td>6,000/-</td><td>02 प्रति जिला</td><td>5,000/-</td></tr><tr><td>4. सहायक कर्मचारी</td><td>10</td><td>4,000/-</td><td>03 प्रति जिला</td><td>3,500/-</td></tr></table> संविदा से भरे जाने वाले उक्त पदों पर नियुक्ति प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से की जानी प्रस्तावित है। एजेन्सी द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर के साथ कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर उपलब्ध करवाने पर राज्य स्तर पर 1,500/- रुपये प्रतिमाह एवं जिला स्तर पर 1,200/- रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त दिया जाना प्रस्तावित है। प्रिन्टर की कार्टिज / टोनर का व्यय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यालय द्वारा वहन किया जाना है। उक्त प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	पद	राज्य स्तर पर स्वीकृत पद	प्रति व्यक्ति एजेन्सी को देय मानदेय (रुपयों में)	जिला स्तर पर स्वीकृत पद	प्रति व्यक्ति एजेन्सी को देय मानदेय (रुपयों में)	1. एम. आई.एस. प्रभारी	01	प्रतिनियुक्ति से भरा जाना है	01 प्रति जिला	10,000/-	2. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	02	6,000/-	01 प्रति जिला	5,000/-	3. कम्प्यूटर ऑपरेटर	08	6,000/-	02 प्रति जिला	5,000/-	4. सहायक कर्मचारी	10	4,000/-	03 प्रति जिला	3,500/-	राज्य स्तर पर राज्य परियोजना कार्यालय में एम.आई.एस. प्रभारी को भी एजेन्सी अथवा प्रतिनियुक्ति दोनों में से जिस तरीके से भी उपलब्ध हो सके उस तरीके से भरा जाना चाहिये। राज्य स्तर के एम.आई.एस. प्रभारी को एजेन्सी के माध्यम से संविदा पर नियुक्त किये जाने की स्थिति में 20,000/- रु. मासिक मानदेय स्वीकृत किया जाता है। शेष प्रस्तावों का प्रस्तुत प्रारूप में ही अनुमोदन किया गया।	स्वीकृत प्रस्तावों के अनुसार मानदेय स्वीकृत करने के प्रशासनिक आदेश जारी करते हुये नव स्वीकृत मानदेय दिया जा रहा है।
पद	राज्य स्तर पर स्वीकृत पद	प्रति व्यक्ति एजेन्सी को देय मानदेय (रुपयों में)	जिला स्तर पर स्वीकृत पद	प्रति व्यक्ति एजेन्सी को देय मानदेय (रुपयों में)																								
1. एम. आई.एस. प्रभारी	01	प्रतिनियुक्ति से भरा जाना है	01 प्रति जिला	10,000/-																								
2. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	02	6,000/-	01 प्रति जिला	5,000/-																								
3. कम्प्यूटर ऑपरेटर	08	6,000/-	02 प्रति जिला	5,000/-																								
4. सहायक कर्मचारी	10	4,000/-	03 प्रति जिला	3,500/-																								



राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

छा० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर-302017

दूरभाष: 0141-2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com

क्र. सं.	प्रस्ताव	निर्णय	क्रियान्विति का विवरण
9.	<u>प्रस्ताव सं. 9 – आई.सी.टी. की गतिविधियों का राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की गतिविधियों के साथ समन्वय बनाना</u> माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित आई.सी.टी. योजना का शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार का प्रयास कर रहा है। दोनों योजनाओं के लक्ष्य समान होने के कारण इनमें समन्वय बनाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आई.सी.टी. योजना से संबंधित प्रकोष्ठ बनाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आईसीटी प्रकोष्ठ का कार्यभार श्रीमती ममता दाधीच, सहायक निदेशक को दिया गया है।

निदेशक (मा० शि०)

एवं राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर